न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2024
जीसीएमएस संख्या—2024/249

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.सुखाराम पुत्र नारायणराम जति जाट निवासी शिवपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		1.बाबूलाल पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी शिवपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 2.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री बख्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थी ओर से ।
2. श्री निर्मल कटारिया अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17/04/2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का कोसाणा तहसील पीपाड़शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
119	1226	1.6180	बारानी द्वितीय
	1228	6.7390	बारानी द्वितीय
	कुल खसरा 02	कुल रकबा 8.3570	

उक्त वर्णित आराजी की सबूत में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम कोसाणा से सियारा जाने वाली मुख्य डामर सड़क के चिपते उत्तरी तरफ आयी हुई है। वादीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । वादीगण की वादग्रस्त आराजी के उत्तर, पश्चिम व दक्षिण तरफ पत्थरो की चुनाई करके दिवार निकाली हुई है तथा पुरब तरफ माठ कायम है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी के पुरब तरफ अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.8252 हेक्टयर, खसरा नम्बर 1228/1 रकबा 3.3654 हेक्टयर भूमि आयी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के खेतो के मध्य सेटलमेन्ट समय से पुरानी माठ कायम है वर्तमान में इण्डियन ऑयल कॉर्पोशन लि० द्वारा पाइपलाईन बिछाने का कार्य चल रहा है जिसके तहत प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 1226, 1228 में से पुरब सीमा से माठ तोड़कर खुदाई कर पाईपलाईन बिछाई गयी जिस पर अप्रार्थी ने विरोध किया तब इण्डियन आयल के प्रतिनिधियो के रूबरू व प्रार्थी व अप्रार्थी के रूबरू अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सीमांकन कर सीमा बता दी थी लेकिन इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या एक नही माना तथा बीच की माठ सीमा को लेकर झगड़ा फिसाद करने लग गया व बीच की माठ खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन मे मिला दी जिससे दोनो पक्षो के मध्य कहासुनी होने लग गयी इस पर प्रार्थी ने अपनी वादग्रस्त आराजी का दिनांक 26/06/2024 को नाप चौक कर सीमांकन करवाया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक मान नही रहा है जो मौका फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी के पुरब तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी करना चाहता है लेकिन अप्रार्थी संख्या एक तारबन्दी करने नही दे रहे है तथा बीच की माठ खुर्द बुर्द कर रहे है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर चारो कोनों पर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो । प्रार्थी पत्थर गड्डी के पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थी की खातेदारी भूमि/वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1226 व 1228 के चिपते पुरब तरफ अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1226 व 1228/1 आयी हुई है तथा बीच में पुरानी माठ कायम है । अप्रार्थी संख्या एक बीच की माठ लम्बे समय से खुर्द बुर्द करता आ रहा है तथा जनवरी 2024 मे इण्डियन ऑयल कॉर्पोशन लि० द्वारा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी मे से पुरब सीमा से पाइपलाईन बिछाने हेतु पाइप डाले इस पर अप्रार्थी ने दखलबाजी पैदा की जिस पर इण्डियन ऑयल कोर्पोशन लि० द्वारा राजस्व कर्मचारियों व पक्षकारों के रूबरू अप्रार्थी संख्या दो से नाप चौक कर सीमांकन करवाया एवं प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी मे से पुरब सीमा में खुदाई कर पाइपलाईन बिछायी थी लेकिन बीच की माठ को लेकर अप्रार्थी संख्या एक विवाद करने लग गया इस पर प्रार्थी ने नाप चौक करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या एक नाप चौक करवाने से भी मना कर दिया इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो से अपनी जमीन कार नाप चौक कर सीमांकन भी करवाया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक मान नही रहा है तथा प्रार्थी ने अपनी वादग्रस्त आराजी के पुरब सीमा में तारबन्दी हेतु पट्टियां रोपने हेतु दिनांक 05/07/2024 को गये लेकिन अप्रार्थी तारबन्दी करने नहीं दे रहें है इसलिए प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर चारो कोनों पर पत्थरगड्डी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थनापत्र मय शपथ-पत्र के पेश कर न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम शिवपुरा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1226, 1228 का नाप चौक करवाया जाकर चारो कोनों पर पत्थर गड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता निर्मल कटारिया ने वकालतनामा पेश किया, बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया, जिस पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम शिवपुरा के खसरा संख्या 1226, 1228 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम शिवपुरा के खसरा संख्या 1226, 1228 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम शिवपुरा के खसरा संख्या 1226, 1228 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 17/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर